रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2006/भाद्र 31, 1928
No. 226] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2006/BHADRA 31, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

सं. 2/38/99-बीटीपीएस (खंड vii).--जबकि विद्युत मंत्रालय ने बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में से इसे अन्य परिसम्पत्तियाँ एनटीपीसी लिमिटेड को अंतरित करने की शर्तें और निर्बंधन प्रदान करने के लिए दिनाँक 31 मई 2006 की अधिसूचना सं. 2/38/99-बीटीपीएस (खंड vii) जारी की है।

और जबकि कथित अधिसूचना की धारा 4 और 8 निम्नानुसार प्रदान करती है :

"4. यहाँ वर्णित सभी परिसम्पत्तियाँ, भूमि के अतिरिक्त, जो पट्टे पर होंगी, उन्हें 31 मई 2006 को बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के लेखा परीक्षित खातों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने हेतु विचार के लिए एनटीपीसी में निहित किया जाएगा। कथित विचार भारत सरकार द्वारा एनटीपीसी को कथित प्रयोजन के लिए जारी आदेश द्वारा संप्रेषित किया जाएगा।"

"8. बीटीपीएस को एनटीपीसी में अंतरित करने का प्रतिफल अंतरण मूल्य के सम्प्रेषण के 100 दिनों के अंदर भारत सरकार को भुगतान किया जाए, जो।

सरकार द्वारा 31 मई 2006 के अनुसार लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर निकाला जाएगा।"

और जबकि लेखा पुस्तकों में दिए गए मूल्यह्रास से अलग दर पर प्रशुल्क के माध्यम से वसूली के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों पर पिछले समय में प्रभारित किए जा रहे मूल्यह्रास के शीर्ष में 31-05-2006 को एनटीपीसी में अंतरित स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतरण मूल्य पर कुछ स्पष्टीकरण अनिवार्य हो गए हैं।

और जबकि यह उपयुक्त है कि अंतरिम स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य का निर्धारण लेखा पुस्तकों में दिए अनुसार विवरण के स्थान पर 31-05-2006 तक प्रभारित प्रशुल्क के रूप में संचयी मूल्यह्रास पर विचार के बाद किया जाएगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 298 के साथ अनुच्छेद 73 के अंतर्गत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा निर्देशित करती है कि अधिसूचना सं. 2/38/99-बीटीपीएस (खंड vii) दिनाँक 31 मई 2006 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

(i) धारा 4 की तीसरी पंक्ति में शब्द ''31 मई 2006'' के बाद निम्नलिखित जोड़ें ''बशर्ते कि स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतरण हेतु विचार विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा याचिका सं. 40/2004 में दिनाँक 09-05-2006 को पारित आदेश के अनुसार 31-05-2006 तक विद्युत की बिक्री और आपूर्ति हेतु प्रशुल्क में प्रभारित पूँजीगत लागत और संचयी मूल्यह्रास पर आधारित होगा और यह कि उक्त विचार इस अधिसूचना के सभी आशय और प्रयोजनों हेतु अंतरण मूल्य का भाग बनाएगा।''

(ii) धारा 8 में शब्दों का विलोप किया जाए -- ''जो 31 मई 2006 को लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर प्राप्त होंगे।''

मृत्युंजय साहू , संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2006

No. 2/38/99-BTPS (Volume VII).—Whereas the Ministry of Power has issued the Notification No. 2/38/99-BTPS (Vol. VII) dated 31st May, 2006 providing for the terms and conditions of the transfer amongst other assets of Badarpur Thermal Power Station to NTPC Limited.

And whereas Clauses 4 and 8 of the said Notification provide as under:

4. "All assets as described herein above excluding the land which shall be on lease, shall vest in NTPC Limited for consideration to be determined by the Government of India as per the audited accounts of the Badarpur Thermal Power Station as on 31st May, 2006. The said consideration shall be communicated by the Government of India to the NPTC by an Order to be issued for the said purpose.

"8.The consideration for the transfer of BTPS to NTPC shall be paid by NTPC to the Government of India within 100 days of communication of the transfer value which will be arrived at on the basis of audited accounts as on 31st May, 2006 by the Government of India".

And whereas certain clarifications have become necessary on the transfer value of the Fixed Assets as on 31-5-2006 transferred to NTPC Limited on account of depreciation being charged in the past on fixed assets for recovery through tariff at a rate different from the depreciation provided in the Books of Accounts.

And whereas it is appropriate that the value of the Fixed Assets transferred is determined after considering the Cumulative Depreciation as charged to tariff up to 31-5-2006 instead of as provided in the Books of Accounts.

NOW IN EXERCISE OF ITS POWERS UNDER ARTICLE 73 READ WITH ARTICLE 298 OF THE CONSTITUTION OF INDIA, THE GOVERNMENT OF INDIA HEREBY DIRECTS THAT THE Notification No. 2/38/99-BTPS (Vol.-VII) dated 31st May, 2006 be amended as under:

(i) By adding the following after the words "31st May, 2006" in line-3 of clause 4 —

"Provided that the consideration for transfer of capital assets shall be based on the capital cost and cumulative depreciation charged in tariff for sale and supply of electricity up to 31.5.2006 as per the Order dated 9-5-2006 passed in the petition no. 40/2004 by the Central Electricity Regulatory Commission constituted under the Electricity Act, 2003, and that such considerations shall form part of the transfer value for all intent and purposes of this notification."

(ii) By deleting the words "which will be arrived at on the basis of audited accounts as on 31st May, 2006" in clause 8.

MRUTUNJAY SAHOO, Jt. Secy. & Financial Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.